<u>महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता</u>

<u>संख्या-36/**2020**/1880/**33-3-2020-40/2020**</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, पंचायती राज, उ**0**प्र, लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ**0**प्र**0**, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

<u>पंचायती राज अनुभाग</u>-3 **<u>लखनऊ</u>**: **<u>दिनॉक</u>**: 01 **<u>अगस्त</u>**, 2020

विषय:**-कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य वित्त आयोग से धनराशि उपलब्ध कराने विषयक।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

2- कोविड-19 की रोकथाम व आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण निकायों को उपलब्ध होने वाली धनराशि में से कुल रू0-299 करोड़ (50 प्रतिशत शहरी निकाय एवं 50 प्रतिशत ग्रामीण निकाय) की धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से जनपदों को उपलब्ध कराया जाना है। जनपदों को उनके आकार तथा कोविड-19 संक्रमण के मामलों के आधार पर 02 श्रेणियों क्रमश:-ए एवं बी में विभक्त किया गया है। ए-श्रेणी के जनपदों को 05 करोड़ रूपये तथा बी-श्रेणी के जनपदों को 03 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। (श्रेणी-ए एवं श्रेणी-बी के जनपदों की सूची संलग्न है।)

3- चिकित्सा अनु0-9 के शासनादेश संख्या-80/पांच-9-14-9(56)/13, दिनांक 15.1.2014 द्वारा जिला स्वास्थ्य सोसाइटी का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग की धनराशि राज्य स्तर से सीधे जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध कराई जायेगी। कोविड-19 का प्रबंधन शासकीय संस्थानों/ चिकित्सालयों में पूर्ण दक्षता से सुचारू रूप से सम्पन्न हो,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इसके लिए जनपद स्तरीय समिति जिसका विवरण निम्नवत् है, राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के उपभोग करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी :-

क्र.सं.	पदनाम	स्तर
1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3-	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
4-	प्रभारी अधिकारी/स्थानीय निकाय अथवा जनपद में नगर निगम होने की दशा में नगर आयुक्त	सदस्य
5-	मुख्य कोषाधिकारी	सदस्य
6-	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव

<u>इस धनराशि से अनुमन्य कार्य-</u>

(i) आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेना जिससे सर्विलांस, सैम्पलिंग एवं आर0आर0टी0 गतिविधिया निर्वाध रूप से चलती रहे। ए-श्रेणी के जनपद अधिकतम 15 वाहन तथा बी-श्रेणी के जनपद अधिकतम 10 वाहन किराये पर ले सकेगे।

(ii) आवश्यकतानुसार मानव संसाधन/जनशक्ति यथा-डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं स्वीपर संविदा पर रख सकेगे।

(iii) इस धनराशि से कमी पड़ने पर तात्कालिकता के आधार पर कन्ज्यूमेबल्स भी लिये जा सकेंगे।

4- इस हेतु लगाये जाने वाले स्टाफ, वाहन आदि की संख्या व अवधि के विषय में आवश्यक पैरा मेडिकल, लैब टेक्नीशियन (एल.टी.)प्रयोगशाला सहायक (एल.ए.) आदि का वॉक-इन-साक्षात्कार लेकर तैनात करने हेतु उपरोक्त समिति सक्षम होगी। उक्त समिति कोविड-19 के नियंत्रण व उपचार के लिए किसी ऐसे कार्य जिसे किया जाना आवश्यक समझती है, किन्तु उस कार्य के लिए सामान्य बजट में धनराशि उपलब्ध नहीं है तो समिति इस धनराशि से उक्त कार्य करने का निर्णय ले सकती है। इसमे पैरा मेडिकल, स्वीपर, एल.टी, एल.ए. की संख्या अथवा तैनाती के विषय में शासन/निदेशालय स्तर से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, समिति इसके लिए पूर्णत: सक्षम होगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक- तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, न्याय, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- विशेष सचिव, गृह गोपन अनुभाग-1।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
10- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/ नगर पंचायत उ0प्र0।
11- समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
13- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उ0प्र0।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ग्रुप-ए		ग्रुप-बी	
1.	प्रयागराज	1.	फिरोजाबाद
2.	मुरादाबाद	2.	मिर्जापुर
3.	गाजियाबाद	3.	अयोध्या
4.	आजमगढ़	4.	बस्ती
5.	लखनऊ	5.	अम्बेडकर नगर
6.	कानपुर नगर	6.	रामपुर
7.	जौनपुर	7.	मऊ
8.	सीतापुर	8.	बलरामपुर
9.	बरेली	9.	पीलीभीत
10.	गोरखपुर	10.	झांसी
11.	आगरा	11.	चंदौली
12.	मुजफ्फरनगर	12.	फर्रूखाबाद
13.	हरदोई	13.	मैनपुरी
14.	लखीमपुर-खीरी	14.	सोनभद्र
15.	सुल्तानपुर	15.	अमरोहा
16.	बिजनौर	16.	बांदा
17.	बदायूं	17.	कानपुर देहात
18.	वाराणसी	18.	एटा
19.	अलीगढ़	19.	सन्तकबीर नगर
20.	गाजीपुर	20.	जालौन
21.	कुशीनगर	21.	कन्नौज
22.	बुलन्दशहर	22.	गौतमबुद्ध नगर
23.	बहराइच	23.	कौशाम्बी
24.	सहारनपुर	24.	इटावा
25.	मेरठ	25.	भदोही
26.	गोंडा	26.	हाथरस
27.	रायबरेली	27.	कासगंज
28.	बाराबंकी	28.	औरैया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29.	बलिया	29.	बागपत
30.	प्रतापगढ़	30.	ललितपुर
31.	उन्नाव	31.	श्रावस्ती
32.	देवरिया	32.	हमीरपुर
33.	शाहजहाँपुर	33.	चित्रकूट
34.	महाराजगंज	34.	महोबा
35.	फतेहपुर	35.	अमेठी
36.	सिद्धार्थ नगर	36.	शामली
37.	मथुरा	37.	सम्भल
		38.	हापुड़

नोट : 1. ग्रुप-ए (प्रत्येक जनपद रू0-05 करोड़)
धनराशि=रू0-185 करोड़

2. ग्रुप-बी (प्रत्येक जनपद रू0-03 करोड़)
धनराशि=रू0-114 करोड़

कुल धनराशि=रू0-299 करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।